अनुवानः— धन्नी देवी बनाम सरकार
मुकदमा संख्याः—03 / 116 / 2024
निर्णय दिनांक 18.11.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय
खण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ जिला—अलवर
(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

पत्र संख्या :— 03 / 116 / 2024 ऑन लाईन नम्बरः—2024 / 622 प्रवेश तिथिः—26.11.2024

धन्नी देवी पत्नी स्व0 श्री विशम्भर दयाल बैरवा आयु 65 वर्ष जाति बैरवा निवासी ग्राम राजडोली तहसील टहला जिला अलवर।

............प्रार्थीया

बनाम

......अप्रार्थी

तहसीलदार टहला जिला अलवर

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956
उपस्थित :1. श्री किशनलाल वर्मा एड0 प्रार्थी
पैरोकार सरकार तहसीलदार टहला—अप्रार्थी

दिनांक 18.11.2025

:—निर्णयः—

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा ...र्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू—राजस्व अधिनियम बाबत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की ...राजी खाता संख्या 130 आराजी खसरा नम्बर 165 / 0.19, 171 / 0.11, खाता संख्या 136 खसरा संख्या ...0 / 0.05 है0 वाके ग्राम राजडोली तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीया के ...ति की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी प्रार्थीया के पति विशम्भर दयाल को उसकी नानी स्व0 अमरी देवी पत्नी छीतरमल से ज़रिये गोदनाम विरासत में प्राप्त हुई। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पति का नाम **विशम्भर दयाल पुत्र चम्मनलाल** की जगह सहवन से **बिशनलाल पुत्र चम्मनलाल** दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीया के पति का नाम अन्य रिकार्ड में **विशम्भर दयाल पुत्र चम्मनलाल** दर्ज रिकार्ड है। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पति का सही नाम **विशम्भर दयाल पुत्र चम्मनलाल** दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

... प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार टहला से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार टहला के पत्रांक क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 2284 दिनांक 15.09.2025 की मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि शामिल पत्रावली है। तहसीलदार टहला की रिपोर्ट से साबित है कि **विशम्भर दयाल पुत्र चम्मनलाल** व **बिशनलाल पुत्र चम्मनलाल** एक ही व्यक्ति है। जिसका सही नाम **विशम्भर दयाल पुत्र चम्मनलाल** होना बताया गया। तहसीलदार टहला की जॉच रिपोर्ट एवं प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार हाल रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी के पति का नाम **विशम्भर दयाल पुत्र चम्मनलाल** की जगह सहवन से **बिशनलाल पुत्र चम्मनलाल** दर्ज कर रखा है उसके स्थान पर प्रार्थीया के पति का नाम **विशम्भर दयाल पुत्र** चम्मनलाल दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला—अलवर

अनुवाद:– शन्नी देवी बनाम सरकार
मुकदमा संख्या:–03 / 116 / 2024
निर्णय दिनांक 18.11.2025

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौरान–ए–बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 130 आराजी खसरा नम्बर 165 / 0.19, 171 / 0.11, खाता संख्या 136 खसरा संख्या 170 / 0.05 है0 वाके ग्राम राजडोली तहसील टहला के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पति **विशम्भर दयाल पुत्र चम्मनलाल** की जगह सहवन से **बिशनलाल पुत्र चम्मनलाल** दर्ज कर दिया। जिसे दुरूस्त करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजत तहसीलदार टहला की रिपोर्ट दिनांक 15.09.2025, मौका रिपोर्ट पटवारी दिनांक 12.09.2025 व प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र की पुष्टि में उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार टहला की जॉच रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यो के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 आराजी खाता संख्या 130 आराजी खसरा नम्बर 165 / 0.19, 171 / 0.11, खाता संख्या 136 खसरा संख्या 170 / 0.05 है0 वाके ग्राम राजडोली तहसील टहला जिला *अलवर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार टहला को आदेश दिये जाते है कि वो उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया के पति का नाम बिशनलाल पुत्र चम्मनलाल दर्ज है उसके स्थान पर प्रार्थीयाके पति का नाम विशम्भर दयाल पुत्र चम्मनलाल दुरूस्त किया जावें तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे। खारीज किया जाता है।*

निर्णय आज दिनांक 18.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते

सत्यमेव जयते
राजगढ़, जिला - अलवर (राज.)